



DMI HOUSING FINANCE

फीस और चार्ज

लागू होने की तारीख: 2 जून 2026

फीस का प्रकार	राशि	भुगतान कब करना है
परिचालन और प्रशासनिक लागत – रिफंडेबल नहीं है	होम लोन: स्वीकृत लोन राशि का ₹ 3000 +(1.5%+ GST)। नॉन-होम लोन: स्वीकृत लोन राशि का ₹ 3000 +(2%+ GST)।	A. ₹ 3000 (GST सहित) लोन आवेदन के साथ जमा करना होगा B. लोन की राशि जारी होने से पहले शेष राशि का भुगतान करना होगा।
कानूनी जाँच-पड़ताल	₹ 1500 टैक्स सहित (रिफंडेबल नहीं है)	डिसबर्समेंट के समय
तकनीकी जाँच-पड़ताल	₹ 1500 टैक्स सहित (रिफंडेबल नहीं है)	डिसबर्समेंट के समय
बाद में होने वाली तकनीकी जाँच-पड़ताल	कर सहित ₹600 तक (गैर-वापसी योग्य)	डिसबर्समेंट के समय
CERSAI शुल्क	5 लाख तक के लोन पर ₹ 59 टैक्स सहित और ₹ 118 5 लाख से ज़्यादा के लोन पर	डिसबर्समेंट के समय
चेक / ECS / ACH हर लेन-देन पर बाउंस	₹ 500	जब और जहाँ लागू हो
EMI / प्री-EMI की डिफॉल्ट किश्त पर ज़र्माना शुल्क	बकाया राशि पर प्रति वर्ष 24% ब्याज	जब और जहाँ लागू हो
रिकवरी (कानूनी / कब्ज़ा और अन्य अतिरिक्त शुल्क)	वास्तविक के अनुसार	जब और जहाँ लागू हो
चेक / ACH बदलने का शुल्क (प्रति सेट)	₹ 590, टैक्स सहित	डिसबर्समेंट के बाद, जहाँ ज़रूरी हो
प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपी	₹ 1770 टैक्स सहित	जब और जहाँ लागू हो
ROI रूपांतरण	फिक्स्ड रेट से फ्लोटिंग रेट में NIL शुल्क।	जब और जहाँ लागू हो
	फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट में लोन बदलने पर बकाया मूलधन का 1% + GST शुल्क लगाया जाएगा।	
	ROI बदलने पर बकाया मूलधन पर 1% + GST रूपांतरण शुल्क लगेगा।	

--	--	--

दस्तावेज़ों की सूची		₹ 1180 टैक्स सहित	जब और जहाँ लागू हो
दस्तावेज़ संभालने का शुल्क		एनेक्सचर -1 देखें	जब और जहाँ लागू हो
पूर्व भुगतान / आंशिक भुगतान शुल्क (जब और जहाँ लागू हो)			
ब्याज का प्रकार	शर्त	बकाया मूलधन पर शुल्क (GST शामिल नहीं)	01.01.2026 या उसके बाद स्वीकृत ऋणों के लिए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)
फ्लोटिंग	A. व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए हाउसिंग / नॉन-हाउसिंग लोन, जो व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं।	शून्य	शून्य
	B. गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवासीय/निवास प्रयोजनों के लिए लोन	शून्य	शून्य
	C. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए लोन	5%	रुपये 50 लाख तक स्वीकृत ऋणों के लिए शून्य रुपये 50 लाख या उससे अधिक स्वीकृत ऋणों के लिए 5%
फिक्सड	A. हाउसिंग लोन प्रीपेड/पार्ट-पेड उधारकर्ता(ओं) के 'स्वयं के स्रोतों' के माध्यम से।	शून्य	शून्य
	B. अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रीपेड/पार्ट-पेड हाउसिंग लोन।	5%	5%
	C. किसी भी उद्देश्य के लिए सभी नॉन-हाउसिंग लोन।		

नोट:

(i) इस प्रयोजन के लिए “स्वयं के स्रोतों” का अर्थ है कोई भी ऐसा स्रोत जो बैंक/HFC/ NBFC और/या किसी वित्तीय संस्थान से उधार लिए गए पैसे के अलावा हो।

(ii) सभी दोहरे/विशेष दर (फिक्सड और फ्लोटिंग का संयोजन) हाउसिंग लोन फिक्सड/फ्लोटिंग रेट पर लागू प्री-क्लोजर मानदंड पर लागू होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्री-क्लोजर के समय, लोन फिक्सड या फ्लोटिंग रेट पर था या नहीं। ड्यूल या स्पेशल रेट हाउसिंग लोन के मामले में, जब लोन को फ्लोटिंग रेट लोन में बदल दिया जाएगा और फिक्सड ब्याज दर की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब फ्लोटिंग रेट के लिए प्री-क्लोजर नियम लागू होगा।

(iii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निश्चित दर वाला लोन वह होता है, जहां लोन की पूरी अवधि के लिए दर निश्चित की जाती है।

दस्तावेज़ संभालने के शुल्क के लिए एनेक्सर - 1

राज्य	दस्तावेज़ संभालने का शुल्क - INR (GST शामिल नहीं)
दिल्ली	200
गुजरात	200
हरियाणा	400
मध्य प्रदेश	900
महाराष्ट्र	200
पंजाब	400
राजस्थान	400
उत्तर प्रदेश	200
उत्तराखंड	200

1. सभी शुल्क/फीस DMI शाखाओं/प्रतिनिधियों के माध्यम से A/C पेई क्रॉस चेक के जरिए 'DMI HOUSING FINANCE PVT LTD' के नाम से जमा करनी होगी।

2. कैश भुगतान केवल DMI शाखाओं में ही किया जा सकता है, और इसके लिए DMI अधिकारियों द्वारा जारी वैध रसीद अनिवार्य है।

3. DMI ऊपर बताए गए शुल्क से ज्यादा कोई राशि चार्ज नहीं करता और किसी भी राशि के भुगतान के लिए, जो बिना वैध रसीद के अनधिकृत व्यक्ति को दी गई हो, जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

4. अगर शुल्क में टैक्स शामिल नहीं है, तो सरकारी टैक्स अलग से लिया जाएंगे।

5. लोन रद्द होने की स्थिति में, एकत्रित प्रोसेसिंग शुल्क में से रुपये 10,000 (कर सहित) राशि रोक ली जाएगी।